12.01.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही आयें। पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही ना ही वादी पक्ष ना ही प्रतिवादी पक्ष द्वारा की जा रही है। उभयपक्ष उपस्थित नही आ रहे। इसलिए हस्तगत वादपत्र या पत्रावली मे पेश काउन्टर क्लेम को लंबित स्तर पर रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः पत्रावली मे वादी प्रतिवादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार पुनः नये सिरे से दावा लगाने के लिए स्वतंत्र रहेगे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.06.12 20:58:51 IST
Reason: SelfAttested